नारूनाथ S/o शंकर नाथ V/s शंकर नाथ S/o देवानाथ

प्र. सं. 50/24 online No. 2024/136

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/9/24	पत्रावली पेश हुयी उपस्थित पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त न्यायालय में है। पत्रावली सविक आदेश दिनांक 18/12/24 को पेश हो। आदेश से रीडर	
21/10/24	प्रकरण में वादी अधिवक्ता द्वारा शीघ्र सुनवाई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली तलब की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचित किया गया। पत्रावली दि. 23/10/24 को पेश हो।	
23/10/24	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित एवं पैरोकार सरकार उपस्थित है। वादी अधिवक्ता के बाद में आगे कार्यवाही नहीं चाहने से विड्रो के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने भी वादी के प्रकरण को विड्रो के आधार पर खारिज करने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। साथ ही पैरोकार सरकार ने भी निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी नगर विकास न्यास भीलवाड़ा से 90B के तहत समर्पण होकर आवासीय सम्परिवर्तन कर दिये जाने से इस प्रकरण को वादी द्वारा विड्रो किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः वादी अधिवक्ता को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में सम्परिवर्तन कृषि भूमि के संबंध में वाद राजस्व अपील में प्रस्तुत नहीं कर वादी एवं वादी अधिवक्ता के प्रार्थनापत्र अनुसार वादी आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वादपत्र को विड्रो करने से वादी का वादपत्र विड्रो के आधार पर खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जावे। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	नारूनाथ I do not pursue रानीनाथ ने वाद दायर करने पर आगे सहमति नहीं है 23/10/24 अधिवक्ता प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी नगर विकास न्यास भीलवाड़ा से 90B के तहत समर्पण होकर आवासीय सम्परिवर्तन कर दिये जाने से इस प्रकरण को वादी द्वारा विड्रो किये जाने में कोई आपत्ति नहीं। पैरोकार सरकार 23-10-24